

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत १.)श्री बिनोद गंडू एवं २.) श्री हरिलाल गंडू दोनों के पिता- किटू गंडू , ३.) श्री संजय गंडू , एवं ४.)सुलेन्द्र गंडू दोनों के पिता- चैता गंडू, ५.) निशु कुमारी पिता- श्री विजय साव;ग्राम:चमातु , थाना:बालुमाथ जिला :लातेहार (झारखण्ड)को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम:चमातु,थाना सं०56 (रैयतीभूमि) ग्राम-कुलबसिया-खाता सं०-242, के अधीन प्लॉट सं०-319, 424, 470, 472, 822, 824, 853, 1141, 747, 788, 790, 792, 828, 1409, 1597, 1601, 907; ग्राम:चमातु खाता सं०-171, के अधीन प्लॉट सं०-1111, खाता सं०-56, के अधीन प्लॉट सं०-455.;कुल रकबा: -10.00 एकड़ (रैयतीभूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्तावप्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगारप्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट <http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti empl lnd.php> पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध-संघमित्रा), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते है।

अगर पंद्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

बिनोद
20/10/2023

20/10/2023